पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–27] रुड़की, शनिवार, दिनांक 14 फरवरी, 2026 ई0 (माघ 25, 1947 शक सम्वत्) [संख्या–07

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	111–113	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	37–38	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	49–64	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–1

प्रोन्नति / विज्ञप्ति

02 फरवरी, 2026 ई0

संख्या–138 / XXXI(1)/2026/पदो0–01 / 2020–उत्तराखण्ड सचिवालय संवर्ग के अन्तर्गत अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यरत श्री संजय कुमार को नियमित चयनोपरान्त अनु सचिव, वेतन लेवल–11 (वेतनमान ₹ 67,700–2,08,700) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप, श्री संजय कुमार अनुसचिव को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3– उक्त प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 394 (एस0बी0) / 2021 ललित मोहन आर्य व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।

4– अनुसचिव के पद पर पदोन्नत होने वाले उक्त अधिकारी की तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जाएंगे।

आज्ञा से,
रणवीर सिंह चौहान,
सचिव।

राजस्व अनुभाग–3

शुद्धि पत्र

05 फरवरी, 2026 ई0

संख्या–79 / XVIII(3)/2026-03(20)/2021–उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना सं0–1026 / XVIII(3)/2022-03(20)/2021 दिनांकः 25.11.2022 की अनुसूची में, विरयाणी पैन्दार्स ग्राम के सापेक्ष अंकित कुल भूमि "26.1875 है0" को "32.1481 है0", ग्राम सिंराई राजगांव के सापेक्ष अंकित कुल भूमि "28.183 है0" को "31.1109 है0 तथा ग्राम लम्बोगडी गोजियाडा के सापेक्ष अंकित कुल भूमि "43.4795 है0" को "54.6906 है0" पढ़ा जाए।

2– उक्त अधिसूचना इस सीमा तक संशोधित समझी जाएगी।

डॉ0 सुरेन्द्र नारायण पाण्डे,
सचिव, राजस्व।

In pursuance to the provision clause (03) of article 348 of the Constitution of India the, Governor is pleased to order the English translation of notification No: 79/XVIII (3)/2026-03(20)/2021 Dated- 05 February, 2026 for general information.

Corrigendum

February 05, 2026

No. 79/XVIII (3)/2026-03(20)/2021--In the Schedule of notification no. 1026/XVIII (3)/2019(03)(20)/2021, dated November 25, 2022 of Uttarakhand Government, total land "26.1875 hectare" mentioned against Viryani Paindars shall be read as "32.1481 Hectare", total land "28.183 hectare" mentioned against Sirai Rajgaon shall be read as "31.1109 Hectare" and total land "43.4795 hectare" mentioned against Lambogadi Gojiyada shall be read as "54.6906 Hectare".

2- The Said notification shall be deemed to be amended to this extent.

DR. SURENDRA NARAYAN PANDE,
Secretary, Revenue.

अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग

अधिसूचना

03 फरवरी, 2026 ई0

संख्या–75 / XVII-B-1/2026-07(01)2025–श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम, 2025 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 18, 2025) की धारा 06 की उपधारा (1) से उपधारा (4) के अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण में निम्नानुसार महानुभावों को नियुक्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

क्र0स0	नाम/पता	पदनाम
1	प्रोफेसर (से0) सुरजीत सिंह गांधी, बीएसएम पीजी कॉलेज, रूड़की।	अध्यक्ष
2.	1. प्रोफेसर (डॉ) राकेश कुमार जैन, गुरूकुल कांगड़ी वि0वि0 हरिद्वार। 2. डॉ0 सैय्यद अली हमीद, रि0 प्रोफेसर कुमायूं वि0वि0 अल्मोड़ा। 3. प्रोफेसर पेमा तेनजिन, ग्राम–बागतोली, ग्वालदम, जिला चमोली। 4. प्रोफेसर श्री गुरमीत सिहं, के0जी0के0 (पी0जी0) कॉलेज लाइन पार मुरादाबाद। 5. डॉ0 एल्बा मन्ड्रेले, सहायक प्राध्यापक, स्व0 चंद्र सिंह शाही, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कपकोट, बागेश्वर, उत्तराखण्ड। 6. प्रोफेसर, रोबिना अमन, विभागाध्यक्ष एवं संयोजक रसायन विज्ञान, सोबन सिंह जीना, विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा। 7. श्री चन्द्रशेखर भट्ट, सेवानिवृत्त सचिव, उत्तराखण्ड शासन। 8. श्री राजेन्द्र सिंह बिष्ट, हिमालय ग्राम विकास समिति, गंगोलीहाट (पिथौरागढ़)।	सदस्य
3.	9. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड। 10. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उत्तराखण्ड।	पदेन सदस्य
4.	11. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड।	पदेन सदस्य सचिव

2– श्री राज्यपाल, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन यह भी निर्देश देते है कि उक्त पदाधिकारियों की पदावधि पदभार ग्रहण करने की तिथि से 05 वर्ष होगी।

आज्ञा से,
डॉ0 पराग मधुकर धकाते,
विशेष सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 07 हिन्दी गजट/35–भाग 1–2026 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 14 फरवरी, 2026 ई0 (माघ 25, 1947 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

July 14, 2025

No. 226/XIV/a-41/Admin.A/2017--Shri Rohit Joshi, Judicial Magistrate-I, Haridwar is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 10.02.2025 to 19.02.2025 with permission to prefix 08.02.2025 & 09.02.2025 as second Saturday and Sunday holidays.

NOTIFICATION

July 14, 2025

No. 227/XIV/a-35/Admin.A/2018--Ms. Karishma Dangwal, Civil Judge (Jr. Div.), Kashipur, District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 12 days w.e.f. 17.02.2025 to 28.02.2025 with permission to prefix 16.02.2025 as Sunday holiday.

By Order of Hon'ble the Vacation Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

कार्यालय उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी
टनकपुर (चम्पावत)
कार्यालयादेश

21 जनवरी, 2026 ई0

पत्रॉक– 087/निलम्बन/2026–वाहन दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण एवं जनसुरक्षा के दृष्टिगत हेलमेट/ओवरलोडिंग/ओवरस्पीड/मोबाइल का प्रयोग/शराब पीकर वाहन चलाना आदि अभियोगो में संलिप्त वाहन चालकों के चलान अनुज्ञप्ति को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के दिशा–निर्देशों के अनुपालन में निम्नलिखित चालकों के चलान अनुज्ञप्ति को निरर्हित (माह जनवरी, 25) निम्न अवधि तक मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाता है–

क्र स	लाइसेन्स धारक का नाम व पता	लाइसेन्ससंख्या/ श्रेणी एवंवैधता	संस्तुतिकर्ताआि प्रकारी	अभियोग	निलम्बनअवधि
1	मो. फैज पुत्र श्री जमल कुरैशी, मीना बाजार, चन्दनी, बनबसा, जनपद चम्पावत।	UK-0320220005551	प्रवर्तन दल, टनकपुर	सवारी बिना हेल्मेट	दिनांक 21.01. 2026 से दिनांक 20.04.2026 तक
2	श्री हनीफ अहमद पुत्र श्री युसुफ, मैन मार्किट, वार्ड न 08, टनकपुर, जनपद चम्पावत।	UK-0320210001506	प्रवर्तन दल, टनकपुर	वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करना।	उपरोक्तानुसार
3	श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री विजय पाल शर्मा, ग्राम लाल ईमली पडाव, वार्ड नं. 07, टनकपुर, जनपद चम्पावत।	UK-0320170037143	प्रवर्तन दल, टनकपुर	भार वाहन में क्षमता से अधिक माल ले जाना।	उपरोक्तानुसार
4.	श्री लाखन कुमार पुत्र श्री चन्द्र पाल, पुरानी ईमली पडाव वार्ड, टनकपुर, जनपद चम्पावत।	UK-0320150023598	प्रवर्तन दल, टनकपुर	वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करना।	उपरोक्तानुसार
5	श्री योगेश सिंह परवल पुत्र श्री बची सिंह परवल, ग्राम परेवा, पाटी, जनपद चम्पावत।	UK-0320220003346	प्रवर्तन दल, टनकपुर	बिना हेल्मेट के वाहन का सचालन करना।	उपरोक्तानुसार
6	श्री शशिद खॉ पुत्र श्री चमन शेर खान, कैनाल कालौनी बनबसा, पोस्ट चन्दनी, जनपद चम्पावत।	UK-0320230006038	प्रवर्तन दल, टनकपुर	बिना हेल्मेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
7.	श्री कमलदीप सिंह पुत्र श्री मनोज सिंह, ग्राम छिनकी, बिगराबाग, जनपद ऊधम सिंह नगर।	UK-0320130016409	प्रवर्तन दल, टनकपुर	भार वाहन में क्षमता से अधिक माल ले जाना।	उपरोक्तानुसार
8	श्री चन्द्रशेखर सुयाल पुत्र श्री हरीश चन्द्र सुयाल, वार्ड न 05, पोस्ट टनकपुर, जनपद चम्पावत।	UK-0320060000729	प्रवर्तन दल, टनकपुर	भार वाहन में क्षमता से अधिक माल ले जाना।	उपरोक्तानुसार
9	श्री संत सिंह पुत्र श्री गोविन्द सिंह, छिनकी, खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर।	UK-0620200004229	प्रवर्तन दल, टनकपुर	भार वाहन में क्षमता से अधिक माल ले जाना।	उपरोक्तानुसार

सुरेन्द्र कुमार,
लाइसेसिंग अथॉरिटी,
टनकपुर चम्पावत।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 07 हिन्दी गजट/35–भाग 1–क–2026 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 14 फरवरी, 2026 ई0 (माघ 25, 1947 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

NOTICE

NO LEGAL RESPONSIBILITY IS ACCEPTED FOR THE PUBLICATION OF ADVERTISEMENTS/ PUBLIC NOTICES IN THIS PART OF THE GAZETTE OF UTTARAKHAND. PERSONS NOTIFYING THE ADVERTISEMENTS/PUBLIC NOTICES WILL REMAIN SOLELY, RESPONSIBLE FOR THE LEGAL CONSEQUENCES AND ALSO FOR ANY OTHER MISREPRESENTATION ETC.

BY ORDER
Additional Director

सूचना

मेरे पुत्र गुरूबक्श के हाईस्कूल अनुक्रमांक नं0 25107771 में त्रुटिवश मेरा नाम शिव शंकर व मेरी पत्नी का नाम पुष्पा गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरा सही नाम शिव शंकर महतो है। जो मेरे आधार कार्ड नं0 936380481037 में अंकित है व पत्नी का सही नाम पुष्पा महतो है। जो पत्नी के आधार कार्ड नं0 402492554573 में अंकित है। भविष्य में हमे सही नामों से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

शिव शंकर महतो पुत्र श्री जगदीश प्रसाद
निवासी–ई ब्लॉक सरस्वती बिहार होम गार्ड
के पास अजबपुर खुर्द देहरादून उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं. 9657 1628 4462 में त्रुटिवश मेरा नाम कालू (Kalu) गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरा वास्तविक नाम रोहित सिंह (Rohit Singh) है। जो मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक 22022414 में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे रोहित सिंह (Rohit Singh) पुत्र श्री छोटे सिंह (Chhote Singh) के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

रोहित सिंह (Rohit Singh)
पुत्र श्री छोटे सिंह (Chhote Singh)
निवासी–448, तान्शीपुर, हरिद्वार, उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे पुत्र MANAN MAHAJAN के हाईस्कूल अनुक्रमांक नं0 5302740 में त्रुटिवश मेरा नाम PIYUSH गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरा सही नाम PIYUSH MAHAJAN है। जो मेरे आधार कार्ड नं0 200163826718 व पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र पंजी सं0 2510 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरे पुत्र को MANAN MAHAJAN S/O PIYUSH MAHAJAN के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

PIYUSH MAHAJAN
निवासी–189, इन्दिरा नगर कॉलोनी
देहरादून उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरी पुत्री के हाईस्कूल अनुक्रमाक 25149637 में. त्रुटिवश उसका नाम अतुल्या यादव गलत (ATULYA YADAV) गलत दर्ज हो गया है जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम अतुल्या (ATULYA) है। जोकि उसके आधार कार्ड सं. 540510702696 एवं जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण संख्या B202505900610007152 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरी पुत्री को अतुल्या (ATULYA) पुत्री संदीप कुमार के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

संदीप कुमार
निवासी एल.आई.जी 183/30, वॉड नं/19 आवास विकास
रुद्रपुर, उधम सिंह नगर, रुद्रपुर, उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे आधार कार्ड नंबर 843106041170 मे त्रुटिवश मेरा नाम हैप्पी (Happy) गलत दर्ज हो गया है जबकि मेरा वास्तविक नाम अभय (Abhay) है। जो मेरे हाई स्कूल अनुक्रमाक 25030139 वर्ष 2025 व जन्म प्रमाण–पत्र पंजीकरण संख्या B202405900200000056 मे भी दर्ज है। भविष्य में, मुझे अभय(Abhay)पुत्र श्री सुरेंद्र के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

अभय (Abhay) पुत्र श्री सुरेंद्र
निवासी वार्ड नंबर 5, आसनबाग रोड
रामबाग, पोस्ट हरबर्टपुर, देहरादून उत्तराखंड

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं0 5607–9115–2915 में त्रुटिवश मेरा घरेलू नाम विनय कुमार गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरा वास्तविक नाम बिजेन्द्र कुमार (BIJAENDRA KUMAR) है। जो मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक 1649670 में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे बिजेन्द्र कुमार (BIJAENDRA KUMAR) पुत्र भैया लाल के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

बिजेन्द्र कुमार (BIJAENDRA KUMAR)
पुत्र भैया लाल
निवासी–खेडली जिला–हरिद्वार उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं. 422550497972 में त्रुटिवश मेरा नाम सेहनुमा (Sehnuma) गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरा वास्तविक नाम Shahnuma Praveen है। जो मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक नं. 16005910 व स्थाई निवास प्रमाण–पत्र सं. UK25ES0100407396 में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे Shahnuma Praveen D/o Farman Ali के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

Shahnuma Praveen D/o Farman Ali
निवासी–ग्राम कान्हापुर मुस्त मलकपुर
लतीफपुर हरिद्वार, उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे पुत्र के आधार कार्ड न0 3373 7946 5051 में उसका नाम HARSHU FARSHWAN दर्ज है जबकि उसका वास्तविक एव सही नाम ARJUN FARSWAN है जो कि उसकी जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण संख्या B-2017:5-08137-000356 मे दर्ज है। अतः भविष्य में उसे ARJUN FARSWAN S/O Mahaveer Singh, Village Bunga, P/O Gerur, Tharali, Chamoli, Uttarakhand के नाम से जाना पहचाना जाये।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

Mahaveer Singh,
Village Bunga, P/O Gerur, Tharali,
Chamoli, Uttarakhand

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं0 8946 5216 8485 मे मेरा नाम पूनम देवी दर्ज है, लेकिन अब निजी कारणों से मैंने अपना नाम पूनम देवी से बदलकर पूलमा देवी कर लिया है, जो मेरे स्थाई निवास प्रमाण पत्र सं0 UK25ES0100373410 में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे पूलमा देवी पत्नी जय प्रकाश के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाये।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

पूनम देवी (मौजूदा पुराना नाम)
पत्नी श्री जय प्रकाश
निवासी 34, मातली, पो0ओ0 टिकरी,
जौनपुर, मर्ताल्ली, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड

सूचना

मेरे आधार कार्ड संख्या–543596974481 व पैन कार्ड नंबर EOFPR7239R में त्रुटिवश मेरा घरेलू नाम टीटू राम TETTU RAM दर्ज हो गया है, जबकि मेरा वास्तविक नाम राज कुमार RAJ KUMAR है जोकि मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक 232710 व निर्वाचन फोटो पहचान पत्र संख्या UP/85/420/660138 में भी दर्ज है।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

राजकुमार पुत्र चेतन सिंह
निवासी ग्राम व पोस्ट हल्लूमजरा,
परगना व तहसील भगवानपुर,
जिला हरिद्वार।

सूचना

मेरे पुत्र के हाईस्कूल अनुक्रमांक 25130253 में त्रुटिवश उसका नाम सतेन्द्र कुमार (Satendra Kumar) एवं पिता का नाम Subhas Chandra Maurya गलत दर्ज हो गया है जबकि पुत्र का वास्तविक नाम सतेंद्र मौर्य (Satendra Mourya) एवं पिता का वास्तविक नाम (Subhash Chand Morya) है। जोकि पुत्र के जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण संख्या 7853 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरे पुत्र को सतेंद्र मौर्य (Satendra Mourya) पुत्र सुभाष चन्द मोर्य (Subhash Chand Morya) के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

सुभाष चन्द मोर्य (Subhash Chand Morya)
निवासी–311, आदर्श नगर, रूड़की, हरिद्वार,
उत्तराखण्ड़।

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं0 6400–9195–6931 में त्रुटिवश मेरा नाम फत्तू (FATTU) गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरा सही नाम कुंवरपाल (KUNWARPAL) है। जो मेरे पैन कार्ड नं0 DWJPP1530C व मेरे बिजली के बिल में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे कुंवरपाल (KUNWARPAL) पुत्र चेतन के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

कुंवरपाल (KUNWARPAL) पुत्र चेतन
निवासी– ग्राम भोगपुर हरिद्वार उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं0 908661920189 में त्रुटिवश मेरा नाम सन्नो (SANNO) दर्ज हो गया है, जोकि गलत है। जबकि मेरा वास्तविक नाम सना नाज (SANA NAAZ) है जोकि मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक 23011987 एवं जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण सं0 B202505077900000039 में भी दर्ज हैं। भविष्य में मुझे सना नाज (SANA NAAZ) पुत्री मुन्तजीर के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

सना नाज (SANA NAAZ) पुत्री मुन्तजीर
निवासी–सफरपुर, रुड़की, हरिद्वार, उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे नाबालिक पुत्र के आधार कार्ड नं0 893143789091 में त्रुटिवश उसका नाम सौर्या SOURYA दर्ज हो गया है, जोकि गलत है। जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम शौर्य इंदरवाल (SHAURYA INDRWAL) है। जोकि उसके जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण सं0 20101216611 एवं स्थाई निवास प्रमाण पत्र सं0 UK25ES0100479991 में भी दर्ज हैं। भविष्य में मेरे पुत्र को शौर्य इंदरवाल (SHAURYA INDRWAL) पुत्र मनोज सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

मनोज सिंह
निवासी–ग्राम चालंग, सहस्त्रधारा रोड़, कुल्हान,
देहरादून, उत्तराखण्ड़।

सूचना

मेरी पुत्री के आधार कार्ड नं. 767965313254 में त्रुटिवश उसका नाम कायरा (Kayra) दर्ज हो गया है, जोकि गलत है। जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम काशवी सैनी (Kashavi Saini) है। जोकि उसके जन्म प्रमाण–पत्र पंजीकरण सं. B-2023:5-90069-006915 में भी दर्ज हैं। भविष्य में मेरी पुत्री को काशवी सैनी (Kashavi Saini) पुत्री साधुराम के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

साधुराम
निवासी–गली नं. 20, कृष्णा नगर, रुड़की,
हरिद्वार उत्तराखण्ड

सूचना

मेरे नाबालिक पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र पंजीकरण संख्या 658 में त्रुटिवश उसका नाम अंशुमन प्रसाद ध्यानी (ANSHUMAN PRASAD DHYANI) एवं पिता का नाम मनोज दर्ज हो गया है, जोकि गलत है। जबकि पुत्र का वास्तविक नाम अंशुमन ध्यानी (ANSHUMAN DHYANI) एवं पिता का वास्तविक नाम मनोज ध्यानी (MANOJ DHYANI) है। जोकि पुत्र के आधार कार्ड नं0 843680693950 एवं पिता के आधार कार्ड नं0 415419266254 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरे पुत्र को अंशुमन ध्यानी (ANSHUMAN DHYANI) पुत्र मनोज ध्यानी के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

मनोज ध्यानी
निवासी–सीलाबरसू किल्बऊ,
पौडी गढ़वाल।

सूचना

मेरे पुत्र RAO AFSHAN AHMAD (राव अफशान अहमद) के हाईस्कूल अनुक्रमांक 25128941 में त्रुटिवश पिता का नाम HAFIZ MUDASSIR (हाफिज मुदसर) गलत दर्ज हो गया है। जबकि पिता का सही नाम MUDSSIR (मुदस्सिर) है। जो पुत्र के जन्म प्रमाणपत्र सं.–B-2022:5-07848-000107 व पिता के आधार कार्ड नं. 263945096390 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरे पुत्र को RAO AFSHAN AHMAD S/O MUDSSIR के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

MUDSSIR
निवासी–गढ़मीरपुर हरिद्वार उत्तराखण्ड।

सूचना

DUE to personal reasons, I have changed my name from Jubair (JUBAIR - old name) to Zubair Ansari (ZUBAIR ANSARI - new name). In the future, I should be known and identified as Zubair Ansari, son of Mohd Moinuddin.

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

JUBAIR (current old name)
son of Mohd Moinuddin,
resident of 23, Single Mandi,
Kusum Vihar, Dehradun, Uttarakhand - 248001

सूचना

मैंने निजी कारणों से अपना नाम नीम (NEEM) से बदलकर नईम (NAEEM) कर लिया है। भविष्य में मुझे नईम (NAEEM) S/o SHAMIM के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

नीम (NEEM) (मौजूदा पुराना नाम)
S/o SHAMIM
ADDRESS H-NO 242 IBRAHIMPUR
DEH- SALIYER SALAHAPUR, HARIDWAR
UTTARAKHAND-247667

सूचना

यह कि मेरा आधार कार्ड नं0–3191–3652–7164, में त्रुटिवश मेरा नाम अमनदीप (AMANDEEP) दर्ज हो गया है जबकि मेरा वास्तविक नाम आकाशदीप सिंह (AKASHDEEP SINGH) जो मेरी हाई स्कूल की माकर्शीट रोल नं0–0720713 में भी दर्ज है भविष्य में मुझे आकाशदीप सिंह (AKASHDEEP SINGH) पुत्र श्री महेन्द्र सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाये, निवासी म0नं0–507, न्यू आदर्श नगर रूडकी, जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड।

समस्त विधिक औपचारिकतायें मेरे द्वारा पूरी कर ली गई है।

आकाशदीप सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह
निवासी म0नं0–507, न्यू आदर्श नगर,
रूडकी, जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड।

सूचना

मैं सुकदेव प्रसाद पुत्र स्व. यज्ञेश्वरानंद बहुगुणा निवासी जे–ब्लाक, टाइप–2,3/5 नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल। मेरी पुत्री संस्कृति बहुगुणा के शैक्षणिक अभिलेखों में मेरा नाम भूलवश सुखदेव बहुगुणा दर्ज हो गया है। जबकि मेरा सही नाम सुकदेव प्रसाद है।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

सुकदेव प्रसाद पुत्र स्व. यज्ञेश्वरानंद बहुगुणा
निवासी जे–ब्लाक, टाइप–2,3/5 नई टिहरी,
टिहरी गढ़वाल।

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं. 9000–4231–0256 में त्रुटिवश मेरा घरेलू नाम ईशा गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरा वास्तविक नाम गायत्री है। जो मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक नं. 22010658 में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे गायत्री पुत्री श्री सुरेन्द्र यादव के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

गायत्री निवासी मकान नम्बर 417
विष्णु लोक विस्थापित कॉलोनी हरिद्वार,
उत्तराखण्ड।

सूचना

My daughter SHRISHTI NEGI in the educational records High School Roll No. 25105511 and Intermediate Roll No. 25606543 the mother's name POOJA NEGI is wrongly entered. While Shrishti Negi mother's correct name is LAJWANTI NEGI. So enter the correct name LAJWANTI NEGI.

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

Lajwanti Negi wife of
Shri Bijendra Singh Negi
resident of C Block, Mandakini Vihar,
District Dehradun, Uttarakhand

सूचना

मैं जैबून निशा पत्नी श्री शहजाद अली निवासी कोल्हूपानी, चन्दनवारी देहरादून मेरे आधार कार्ड नं. 7575 9092 6561 में मेरा नाम अंग्रेजी में Juibun Nisha गलत है। जबकि सही नाम Zaibun Nisha है। अतः भविष्य में सही नाम से जाना–पहचाना/दर्ज किया जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

जैबून निशा पत्नी श्री शहजाद अली
निवासी कोल्हूपानी, चन्दनवारी देहरादून।

सूचना

मेरा आधार कार्ड नं0 676974297972 में त्रुटिवश मेरा नाम एम बहादुर गुरुंग (Em Bahadur Gurung) गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरा वास्तविक नाम सावन गुरुंग (Sawan Gurung) है। जो मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक 64210931 व पहचान पत्र सं0 RLA1273523 में (DOB 20-09-1986) भी दर्ज है। भविष्य में मुझे सावन गुरुंग (Sawan Gurung) S/o Dil Bahadur के नाम से ही जाना पहचाना व पुकारा जाए। निवासी–256 ए, डाकरा बाजार, गढ़ी कैंट, देहरादून उत्तराखण्ड (248003)

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

सावन गुरुंग (Sawan Gurung)
S/o Dil Bahadur
निवासी– 256 ए, डाकरा बाजार, गढ़ी कैंट,
देहरादून उत्तराखण्ड (248003)

कार्यालय–नगर पंचायत, ढण्डेरा (हरिद्वार)

सार्वजनिक सूचना

28 अक्टूबर, 2025 ई0

पत्रांक–276/न0प0ढ0/2025–26–नगर पंचायत, ढण्डेरा (हरिद्वार) सीमान्तर्गत नगर पालिका अधिनियम–1916 की धारा 298 की उपधारा–2 खण्ड– (ज) (च) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत, ढण्डेरा द्वारा फेरी व्यवसाय/तहबजारी को नियन्त्रित करने एवं शुल्क वसूली के उद्देश्य से "फेरी व्यवसाय/तहबजारी एवं शुल्क वसूली उपविधि–2025" बनायी जाती है, जो नगर पालिका अधिनियम–1916 की धारा–301 (1) के अन्तर्गत जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला हो, उनसे आपत्ति एवं सुझाव हेतु प्रकाशित की जा रही है।

अतः समाचार पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित सुझाव एवं आपतियां अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, ढण्डेरा (हरिद्वार) को प्रेषित की जा सकेगी। वाद अवधि प्राप्त आपतियों एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

फेरी व्यवसाय/तहबजारी एवं शुल्क वसूली उपविधि-2025

1. **संक्षिप्त नाम प्रसार और प्रारम्भः**

(क) यह उपविधि नगर पंचायत, ढण्डेरा (हरिद्वार) **"फेरी व्यवसाय/तहबजारी एवं शुल्क वसूली उपविधि-2025"** कहलायेगी।

(ख) यह उपविधि नगर पंचायत, ढण्डेरा (हरिद्वार) की सीमा में प्रवृत्त होगी।

(ग) यह उपविधि नगर पंचायत, ढण्डेरा (हरिद्वार) द्वारा प्रख्यापित अथवा शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषाएंः**

किसी विषय या प्रसंग से कोई वाद प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में-

(क) **"नगर पंचायत"** का तात्पर्य नगर पंचायत, ढण्डेरा से है।

(ख) **"सीमा"** का तात्पर्य नगर पंचायत, ढण्डेरा की सीमाओं से है।

(ग) **"अधिशासी अधिकारी"** का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, ढण्डेरा से है।

(घ) **"अध्यक्ष"** का तात्पर्य नगर पंचायत, ढण्डेरा के अध्यक्ष/प्रशासक से है।

(ड़) **"बोर्ड"** का तात्पर्य नगर पंचायत, ढण्डेरा के निर्वाचित अध्यक्ष/सदस्यों अथवा प्रशासक से हैै।

(च) **"अधिनियम"** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश, नगर पालिका अधिनियम-1916 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) संशोधित एवं उपान्तण आदेश-2002 से है।

(छ) **"फेरी व्यवसाय/तहबजारी"** का तात्पर्य नगर पंचायत, ढण्डेरा की सीमान्तर्गत फेरी व्यवसाय/तहबजारी से है।

3. कोई भी व्यक्ति इन उपविधियों में वर्णित स्थानों के अतिरिक्त और निर्धारित शुल्क दिये बिना नगर पंचायत के अन्दर ना कोई वस्तु बेचेगा और ना बिक्री के लिए खोलेगा, ना कही स्टाॅल या बुथ लगा सकेगा और ना किसी सड़क या गली का इस्तेमाल कर सकेगा।

4. किन्तु ऐसी किसी गाड़ी से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा जो कि केवल माल चढ़ाने एवं ढ़ोने के निर्मित किसी दुकान या मकान के आगें का हिस्सा घेरे हुये हों।

5. खुले स्थान जो कि कमेटी की स्वीकृति के अनुसार नाईयों मोचियों प्यडलर जलाने की लकड़ी तथा पत्थरो आदि से घिरी हुई हो, पर तहबाजारी देनी होगी।

6. जब तक की शुल्क जमा होने से रोका ना गया हो प्रत्येक व्यक्ति को जो कि ऐसे शुल्क का देनदार हो शुल्क को कमेटी के उस कर्मचारी के पास देना होगा जो उस कार्य के लिए नियुक्त हो।यदि कमेटी नीलामी के द्वारा तहबाजारी

का ठेका किसी ठेकेदार को देती है। तो ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि को सुची के अनुसार तहबाजारी कर देने का अधिकार होगा। साथ ही उसे इन उपविधियों और दरों से परिचित होना होगा।

7. इन उपविधियों के अन्तर्गत लिये जाने वाले शुल्क को लेने पर शुल्क लेने वाला व्यक्ति निर्धारित फार्म पर बने टिकट और द्विपत्र को भरेगा और फिर टिकट शुल्क देने वाले व्यक्ति को देगा। काई टिकट दोबारा नहीं दिया जायेगा और उसमें दी गई समय की अवधि से अधिक के लिये भरा जायेगा।

8. प्रत्येक फड़ तीन फिट (3) के दायरे में होगा, उससे अधिक नहीं होगा।

9. प्रतिदिन के जमा शुल्क का क्रमशः योग प्रत्येक पृष्ठ के नीचे दिये गये स्थान तथा द्विपत्र में भरा जायेगा।

10. टिकट पाने वाले व्यक्ति को कमेटी के किसी अधिशासी अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी जो कि इस काम के लिये अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया गया हो के मांगने पर टिकट दिखाना होगा।

11. यह अधिकारी ऐसी जाँच के पश्चात जिसे वह आवश्यक समझे कूपन को भरेगा जिसकी कि वह कूपन के साथ तुलना करने के हेतु रखेगा और टिकट अधिकृत व्यक्ति को हस्ताक्षर करने के पश्चात लौटा देगा।

12. नगर पंचायत क्षेत्र के व्यक्ति को प्राथमिकता दी जायेगी।

13. यदि ऐसे शुल्क स्वयं पर ही न देने के फलस्वरूप कार्यालय में वसूल किए जाते है, तो अधिशासी अधिकारी व अध्यक्ष को यह आदेश देने का अधिकार है, कि सूची में दी गई दुगुनी कीमत वसूल की जाये। ऐसे सभी भुगतानों के लिए एम.एस.सी 5 की रसीदें दी जायेंगी।

14. मेले और त्यौहारों के अवसर पर नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी या अध्यक्ष, विशेष स्थान निश्चित कर सकते है, और शुल्क नीलाम या शर्तनामों के अनुसार तय कर सकतें है।

तहबजारी दरों की सूची

क्र0सं0	विवरण	दर	समय
1	हर प्रकार की सब्जी	30 रू0	प्रति फड़ प्रति दिन
2	हर प्राकर के फल	30 रू0	प्रति फड़ प्रति दिन
3	मोची	30 रू0	प्रति फड़ प्रति दिन
4	दर्जी	30 रू0	प्रति फड़ प्रति दिन
5	विदेशी कपड़ा	30 रू0	प्रति फड़ या फेरी प्रति दिन
6	स्वदेशी कपड़ा	30 रू0	प्रति फड़ या फेरी प्रति दिन
7	खोचा वाला	30 रू0	प्रति खोचा प्रति दिन
8	तम्बाकू बीड़ी सिगरेट बेचने वाला	30 रू0	प्रति फड़ या फेरी प्रति दिन
9	हर प्रकार का अनाज	30 रू0	प्रति दिन
10	मच्छली	30 रू0	प्रति स्टाल प्रति दिन
11	मिठाई या सूखे फल बेचने वाला	30 रू0	प्रति स्टाल
12	सूत रस्सी मिट्टी के बर्तन आदि	30 रू0	प्रति फड़
13	भेंड़ बकरी बिक्री के लिए आये गये	30 रू0	प्रति जीव
14	गाय बैल खच्चर भैस बिक्री पर	30 रू0	प्रति जीव
15	खुली जगह पर हज्जम या फड़	30 रू0	प्रति दिन

16	लकड़ी कोयला पत्थर जमा करने पर 4 वर्ग फीट के लिए	30 रू0	प्रति दिन
17	हिन्डोला या चर्खी	30 रू0	प्रति दिन
18	बाईस्कोप तथा सरकस	30 रू0	प्रति दिन
19	संगीत तथा प्रचार आदि	30 रू0	प्रति दिन
20	नोटंकी	30 रू0	प्रति दिन
21	घी एक टिन बड़ा	30 रू0	प्रति टिन
22	घी एक टिन छोटा	30 रू0	प्रति टिन
23	तेल प्रति टिन	30 रू0	प्रति टिन
24	चाय फेरी व बेचने पर तथा साबुन आदि	30 रू0	प्रति दिन
25	कोयला डिपो से आदमी द्वारा बहार लाने पर	30 रू0	प्रति व्यक्ति
26	कोयला डिपो से खच्चर द्वारा बहार लाने पर	30 रू0	प्रति खच्चर
27	डिपो से बहार लकड़ी बिक्री के लिए	30 रू0	प्रति व्यक्ति प्रति दिन
28	डिपो से बहार लकड़ी खच्चर द्वारा बिक्री के लिए	30 रू0	प्रति खच्चर प्रति दिन
29	बर्फ सोड़ा आईस्क्रीम आदि चीजो पर जो फड़ इस्तेमाल हो	30 रू0	प्रति फड़
	स्थानों की सूची		
1	नोटिफाईड एरिया के अन्दर कोई भी पक्की जगह		
2	सब सड़के जो नोटिफाईड एरिया के अन्दर हो		
3	गाड़ियों की पहुच के बहार मोटर स्टेण्ड पर जो पक्की जगह हो		

दण्ड

उपरोक्त उपविधि का उल्लघंन नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा-299 (1) के अन्तर्गत दण्डनीय होगा, जो रू0 5,000/- तक हो सकेगा और जब ऐसा भंग निरन्तरण किया जाय तो अग्रेतर जुर्माना किया जायेगा जो प्रथम दोष सिद्धि के दिनांक के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमें अपराधी का अपराध करते रहना सिद्ध हो, रू0 500/- तक हो सकेगा। यह अधिकार अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, ढण्डेरा में अन्तिम रूप में निहित होगा।

यह उपविधि नियमावली नगर पंचायत, ढण्डेरा जनपद हरिद्वार (उत्तराखण्ड) के नगर पंचायत बोर्ड की सहमति पर बोर्ड की बैठक दिनांक-17.08.2025 में पेज संख्या-30 प्रस्ताव संख्या-12 के द्वारा पारित की गयी।

विरेन्द्र सिंह
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत, ढण्डेरा,
हरिद्वार।

सतीश सिंह नेगी
अध्यक्ष,
नगर पंचायत, ढण्डेरा,
हरिद्वार।

कार्यालय–नगर पंचायत, ढण्डेरा (हरिद्वार)

सार्वजनिक सूचना

28 अक्टूबर, 2025 ई0

पत्रांक–276/न0प0ढ0/2025–26–नगर पंचायत, ढण्डेरा (हरिद्वार) सीमान्तर्गत नगर पालिका अधिनियम–1916 की धारा 298 की उपधारा–2 खण्ड– (ज) (च) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत, ढण्डेरा द्वारा विज्ञापन/होर्डिंग्स को नियन्त्रित करने एवं शुल्क वसूली के उद्देश्य से **"विज्ञापन नियन्त्रण एवं शुल्क वसूली उपविधि–2025"** बनायी जाती है, जो नगर पालिका अधिनियम–1916 की धारा–301(1) के अन्तर्गत जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला हो, उनसे आपत्ति एवं सुझाव हेतु प्रकाशित की जा रही है।

अतः समाचार पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित सुझाव एवं आपत्तियां अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, ढण्डेरा (हरिद्वार) को प्रेषित की जा सकेगी। वाद अवधि प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

विज्ञापन नियन्त्रण एवं शुल्क वसूली उपविधि-2025

1. **संक्षिप्त नाम प्रसार और प्रारम्भः**

(क) यह उपविधि नगर पंचायत, ढण्डेरा (हरिद्वार) **"विज्ञापन नियन्त्रण एवं शुल्क वसूली उपविधि-2025"** कहलायेगी।

(ख) यह उपविधि नगर पंचायत, ढण्डेरा (हरिद्वार) की सीमा में प्रवृत्त होगी।

(ग) यह उपविधि नगर पंचायत, ढण्डेरा (हरिद्वार) द्वारा प्रख्यापित अथवा शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषाएंः**

किसी विषय या प्रसंग से कोई वाद प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में-

(क) **"नगर पंचायत"** का तात्पर्य नगर पंचायत, ढण्डेरा से है।

(ख) **"सीमा"** का तात्पर्य नगर पंचायत, ढण्डेरा की सीमाओं से है।

(ग) **"अधिशासी अधिकारी"** का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, ढण्डेरा से है।

(घ) **"अध्यक्ष"** का तात्पर्य नगर पंचायत, ढण्डेरा के अध्यक्ष/प्रशासक से है।

(ड़) **"बोर्ड"** का तात्पर्य नगर पंचायत, ढण्डेरा के निर्वाचित अध्यक्ष/सदस्यों अथवा प्रशासक से है।

(च) **"अधिनियम"** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश, नगर पालिका अधिनियम-1916 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) संशोधित एवं उपान्तण आदेश-2002 से है।

(छ) **"विज्ञापन"** का तात्पर्य नगर पंचायत, ढण्डेरा की सीमान्तर्गत प्रदर्शित किये जाने वाले विज्ञापन पर, होर्डिंग बैनर एवं अन्य प्रचार सामग्री से है।

3. यह उपनियम ढण्डेरा नगर पंचायत अश्लील तथा आपत्तिजनक फिल्म या पोस्टरों आदि के प्रदर्शन पर नियन्त्रण नियमावली, 2025 कहलायेगी।

4. इन नियमों में विज्ञापन का अर्थ किसी भी स्थान पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किये गये सूचना पट्ट पोस्टर होर्डिंग, साईनबोर्ड, दिवारों आदि पर पेन्ट से लिखे गये या चैक से बनाये गये/लिखे गये विज्ञापनों से है।

5. इमारत का तात्पर्य किसी भी प्रकार से बनाये गये ढ़ाँचे से है, जो किसी भी मैटीरियल से बनाया गया हो।

6. कोई भी व्यक्ति नगर पंचायत, ढण्डेरा की सीमा अन्तर्गत किसी स्थान पर इमारत के किसी भाग पर या ढाँचे पर विज्ञापनार्थ किसी प्रकार का विज्ञापन, सूचना पट्ट, पोस्टर, बैनर या होर्डिग आदि बिना नगर पंचायत, के अधिशासी अधिकारी/नगर पंचायत, ढण्डेरा द्वारा नियुक्त पदाधिकारी की लिखित स्वीकृति प्राप्त किये बगैर नहीं लगायेगा।

7. उपरोक्त उपनियम निम्नांकित पर लागू नहीं होगाः-

(अ) ऐसा विज्ञापन जो सरकारी अथवा राष्ट्रीय कार्यो हेतु स्थानीय विकास योजनाओं हेतु शासकीय प्रतिनिधि द्वारा प्रदर्शन हेतु लगाये जाए।

(ब) ऐसे विज्ञापन या साईन बोर्ड जो किसी स्थानीय व्यापारी/दुकानदार द्वारा अपनी दुकान या निवास पर अपने व्यवसाय के सम्बन्ध में लगाया गया हो।

(स) इसके अतिरिक्त किसी विशेष परिस्थितियों में निःशुल्क विज्ञापन लगाने के लिए अधिशासी अधिकारी की लिखित अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

8. किसी भी विज्ञापन हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए पत्र विज्ञापन के लिपि लेखा सहित दो प्रतियों के साथ नगर पंचायत कार्यालय में देना होगा ताकि अनुमति देते समय अधिशासी अधिकारी विज्ञापन की विषय-भाषा आदि की जाँच करने के पश्चात सन्तुष्टि करेगें कि विज्ञापन में किसी प्रकार की अश्लीलता या आपत्तिजनक भाषा या किसी समूह की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बाते या सामुदायिक विष फैलाने वाली भाषा का प्रयोग तो नहीं किया गया है इस प्रकार सन्तुष्ट होने के बाद आवेदक को स्वीकृति प्रदान की जायेगी। किन्तु अधिशासी अधिकारी के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि जनहित में यदि आवश्यक समझें तो अनुमति दे या न दें अथवा किसी प्रतिबन्ध या शर्त के साथ अनुमति दे। ऐसी स्थिति में पीड़ित व्यक्ति अध्यक्ष, नगर पंचायत, ढण्डेरा के सम्मुख एक सप्ताह के अन्दर अपनी याचिका प्रस्तुत कर सकता है जिस पर अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा।

इन उपनियमों में दी जाने वाली निर्गमन की अनुमति के लिए विज्ञापन शुल्क निम्न होगाः-

1.	1 फुटx1 फुट से 6 फुटx6 फुट साईज के होर्डिंग/बोर्ड-	500/-रू0 वार्षिक
2.	6 फुटx6 फुट से 12 फुटx10 फुट साईज के होर्डिंग/बोर्ड-	800/-रू0 वार्षिक
3.	12 फुटx10 फुट से 20 फुटx10 फुट साईज के होर्डिंग/बोर्ड-	1000/-रू0 वार्षिक
4.	12 फुटx10 फुट से 40 फुटx10 फुट साईज के होर्डिंग/बोर्ड-	2,000/-रू0 वार्षिक
5.	विज्ञापन का इलेक्ट्रानिक डिस्प्ले 20 फुटx10 फुट	3,000/-रू0 वार्षिक
6.	दीवारों पर की जाने वाली पेन्टिग विज्ञापन प्रति वर्ग मी0	20/-रू0 वार्षिक
7.	बिजली/टेलीफोन के खम्बो पर 2x2 फुट तक होर्डिंग/बोर्ड-	40/-रू0 वार्षिक

8.	बैनर कपड़े का (प्रति बैनर)	200/-रू0 प्रति माह
9.	लकड़ी/लोहे के पाईप से सार्वजनिक सड़क पर गेट प्रति गेट/ प्रतिदिन बनाने लगाने हेतु व्यापारिक दृष्टि से	500/-रू0
10.	अन्य विज्ञापन इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड	3000/-रू0 प्रति विज्ञापन
11.	बैलून/गुब्बारे पर विज्ञापन प्रतिदिन	200/-रू0 प्रतिदिन

प्रतिबन्ध यह भी है कि कम से कम 25 विज्ञापनों के लिए इलेक्ट्रानॅनिक डिस्प्ले की आज्ञा दी जायेगी। जिसका शुल्क अग्रिम जमा करना होगा।

9. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, ढण्डेरा के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि इन उपविधियों का उल्लंघन करके यदि कोई विज्ञापन कहीं पर लगा दिया गया हो तो उसे हटा सकते है और उसे हटाने में हुए व्यय को विज्ञापन मालिक या एजेण्ट से वसूल कर सकते है। यदि कोई व्यक्ति व्यय शुल्क जमा न करें अथवा विज्ञापन हटवाने के एक माह के अन्दर होर्डिग वापस करने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत न करें तो विज्ञापन हटाने के एक माह के बाद होर्डिग/साईन बोर्ड आदि नीलाम करा सकते है।

10. नगर पंचायत, ढण्डेरा अधिशासी अधिकारी के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि इन उपविधियों का उल्लंघन करके यदि कोई विज्ञापन कहीं पर लगा दिया गया हो तो उसे हटा सकते हैं और उसे हटाने में हुए व्यय को विज्ञापन मालिक या एजेण्ट से वसूल कर सकते है। यदि कोई व्यक्ति व्यय शुल्क जमा न करें अथवा विज्ञापन हटवाने के एक माह के अन्दर होर्डिग वापस करने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत न करें तो विज्ञापन हटाने से एक माह बाद होर्डिग/साईन बोर्ड आदि नीलाम करा सकते हैं।

11. उपनियमों के प्रयोजनार्थ व्यक्ति, व्यक्तियों, कम्पनी या फर्म के मालिकों, प्रबन्धकों, एजेण्टों या उनके कारिन्दों, जिनके द्वारा कोई विज्ञापन इन उपविधियों का उल्लंघन करते हुए लगाया या लगवाया गया हो, दोषी समझा जायेगा तथा दण्ड का भागी होगा।

12. नगर पंचायत, ढण्डेरा अधिशासी अधिकारी की स्वीकृति के पश्चात सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक कार्य सम्बन्धी विज्ञापन निःशुल्क प्रदर्शित किये जा सकेंगे।

13. नगर पंचायत, ढण्डेरा बोर्ड, उपरोक्त विज्ञापनों का वार्षिक ठेका भी करा सकती है, जिसके लिए फर्मो/व्यक्तियों/एजेण्टों से कुटेशन अथवा बोली ले सकती है किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ठेका लेने वाले व्यक्ति/फर्म को उपरोक्त सभी शर्तो का पूर्ण पालन करना होगा। शर्तो का उल्लंघन करने की दशा में ठेका निरस्त किया जा सकता है एवं धरोहर/अग्रिम रूप में जमा धनराशि को जब्त किया जा सकता है।

14. नगर पंचायत, ढण्डेरा बोर्ड के पास उपरोक्त उपविधियों के अन्तर्गत प्रत्यक्ष परिस्थितियों के आधार पर शर्तो एवं नियमों के अनुसार ठेका निर्धारित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

दण्ड

उपरोक्त उपविधियों नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा-299 (1) का उल्लंघन करके यदि कोई फर्म/ठेकेदार/व्यक्ति, किसी पोस्टर/होर्डिंग अथवा कोई भी विज्ञापन कहीं पर लगा दिया जाता है तो नगर पंचायत उक्त विज्ञापन को हटाने के साथ ही उससे विज्ञापन किराया सहित प्रथम दण्ड के रूप में विज्ञापन किराये के 5 गुना आर्थिक दण्ड वसूल किया जायेगा। दूसरी बार उनका उल्लंघन करने पर आर्थिक दण्ड के रूप में किराये के 10 गुना शुल्क भू-राजस्व की भांति वसूल किया जायेगा।

यह उपविधि नियमावली नगर पंचायत, ढण्डेरा जनपद हरिद्वार (उत्तराखण्ड) के नगर पंचायत बोर्ड की सहमति पर बोर्ड की बैठक दिनांक-14.08.2025 में पेज नं0-29 प्रस्ताव संख्या-03 के द्वारा पारित की गयी।

विरेन्द्र सिंह
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत, ढण्डेरा,
हरिद्वार।

सतीश सिंह नेगी
अध्यक्ष,
नगर पंचायत, ढण्डेरा,
हरिद्वार।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 07 हिन्दी गजट/35–भाग 8–2026 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।